

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1976}

**THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES
(SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1976****[U. P. Act No. 27 of 1976]**

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976।

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1976}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मई, 1976 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 मई, 1976 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 1 जुलाई, 1976 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 5 जुलाई, 1976 को प्रकाशित हुआ।}

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अधीन मोटर गाड़ियों के वर्तमान अनुज्ञा-पत्रों के संबंध में और उक्त ऐक्ट के अध्याय 4-ए के अधीन अधिसूचित अथवा अधिसूचित होने के लिये अभिप्रेत योजनाओं, मार्गों और क्षेत्रों के संबंध में कुछ उपबन्ध करने तथा सम्बद्ध विषयों के लिए प्राविधान करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, विस्तार

संक्षिप्त नाम तथा

1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम केवल इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) अध्याय 4-ए के अधीन अनुमोदित अथवा अनुमोदित होने के लिये अभिप्रेत क्षेत्रों और मार्गों और मूल अधिनियम के अधीन उक्त प्रारम्भ के पूर्व निर्गत अनुज्ञा-पत्रों के संबंध में लागू होगा।

2— जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

परिभाषाएं

(क) पद ‘अनुमोदित योजना,’ ‘अधिसूचित क्षेत्र’ और ‘अधिसूचित मार्ग’ के वही अर्थ होंगे, जो मूल अधिनियम की धारा 68-डी में दिए गए हैं,

(ख) ‘सक्षम प्राधिकारी’ का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी से है,

(ग) ‘निगम’ का तात्पर्य रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से है,

(घ) ‘मिनी-बस’ का तात्पर्य उस ‘मिनी बस’ से है जो ड्राइवर को छोड़कर 35 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो,

(ङ) ‘विनिर्दिष्ट सीमा’ का तात्पर्य ऐसी सीमा या ऐसे क्षेत्र या मार्गों से है, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

(च) उन शब्दों और पदों के, जो यहां पर प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित हैं और मूल अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो मूल अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 17 मई, 1976 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

{उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976} [धारा 3-4]

3- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकारी का गठन करेगी, जो ‘सक्षम प्राधिकारी’ कहा जायगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

सक्षम प्राधिकारी

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का महाप्रबंधक;

(दो) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश;

(तीन) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव।

(2) सक्षम प्राधिकारी की किसी बैठक में, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का प्रतिनिधित्व उप महाप्रबन्धक, उप परिवहन आयुक्त और उप सचिव से अनिम्न श्रेणी के संबंधित अधिकारी कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मत देने का अधिकार होगा और उस बैठक के प्रयोजनों के लिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी का सदस्य समझा जायगा।

(3) एक सदस्य को सक्षम प्राधिकारी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया जायगा।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी सदस्य के परिवर्तन से या उपधारा (2) के अधीन किसी प्रतिनिधि के परिवर्तन से कोई प्रभाव किसी विचाराधीन कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा, जो उस प्रक्रम के आगे, जब कि इस प्रकार का परिवर्तन हुआ, जारी रखी जा सकेगी।

(5) सक्षम प्राधिकारी एक सचिव नियुक्त करेगा, जो राज्य सरकार या निगम का अधिकारी हो सकता है।

(6) सक्षम प्राधिकारी के समस्त आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जायेंगे और प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य लिखत सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

4— जहां किसी व्यक्ति को, जो कोई संस्था या निगमित निकाय नहीं है, जिसके पास विनिर्दिष्ट

कतिपय शर्तों पर

मिनी-बस है, ऐसी मिनी-बस को संविदा गाड़ी के रूप में उपयोग करने के लिये अनुज्ञा-पत्र निजी

सीमा के भीतर

दिया गया है, वहां सक्षम प्राधिकारी उसके आवेदन-पत्र पर अनुमोदित योजना के अन्तर्गत आने उपयोग का

मिनी-बस के प्राधिकार देना

वाली विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर उसका उपयोग यात्री गाड़ी के रूप में करने के लिए ऐसे निबन्धन और शर्तों के अधीन, जो मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में हो सकते हैं, जैसा वह ठीक समझे, प्राधिकृत कर सकता है और ऐसी अवधि के लिए, जिसमें ऐसा प्राधिकरण प्रवृत्त हो, अनुज्ञा-पत्र को ऐसे प्राधिकरण की सीमा तक उपान्तरित समझा जायगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्राधिकरण की यह शर्त होगी कि मिनी-बस का स्वामी निगम को ऐसी राशि देगा, जो सक्षम प्राधिकारी मार्ग के प्रकार और श्रेणी, समावृत्त दूरी, बैठने की जगह और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करे और निगम के ऐसे प्रशासकीय और परिचालन सम्बन्धी नियंत्रण के अधीन रहेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा निदेश दे।

(3) यदि किसी समय सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि उन निबन्धनों और शर्तों का, जिनके अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण दिया गया था, उल्लंघन किया गया है तो वह उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त प्राधिकरण का विखण्डन कर सकता है और तदुपरान्त यह समझा जायेगा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा-पत्र की स्थिति पूर्ववत् हो गयी है, जिसमें वह प्राधिकरण के पूर्व था।

[उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976]

[धारा

5-9]

5— (1) किसी अनुमोदित योजना में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्षम अन्तर्राज्य

सम्पथ और

प्राधिकारी प्राधिकृत कर सकता है कि —

मार्गों पर अन्य का उपयोग

गाड़ियों

करने का

प्राधिकार देना

(क)

यात्री गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र का कोई धारक अपनी यात्री गाड़ी को अधिसूचित मार्ग के ऐसे भाग पर, जो विनिर्दिष्ट किया जाय और ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन, जो मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा

(3) में विनिर्दिष्ट बातों के संबंध में या किसी अन्य बात के संबंध में हो सकते हैं, जैसा वह ठीक समझे, चलाये;

(ख) कोई राज्य परिवहन उपक्रम का उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य या संघीय राज्य क्षेत्र का संविधिक निगम अपनी सार्वजनिक सेवा गाड़ियों को, उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में अधिसूचित या अनधिसूचित मार्ग को समावृत्त करते हुए, किसी अन्तर्राज्य मार्ग पर ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन, जैसा वह ठीक समझे, चलायें; और

(ग) जिस अवधि में ऐसा प्राधिकरण प्रवृत्त रहे, योजना ऐसे प्राधिकरण की सीमा तक उपान्तरित समझी जायगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्राधिकार की यह शर्त होगी कि, यथास्थिति, यात्री गाड़ी या सार्वजनिक सेवा गाड़ी का स्वामी निगम को ऐसी राशि देगा, जो सक्षम प्राधिकारी मार्ग के प्रकार और श्रेणी, समावृत्त दूरी, बैठने की जगह और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करे और निगम के ऐसे प्रशासकीय और परिचालन सम्बन्ध नियंत्रण के अधीन रहेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा निदेश दे।

6— सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, धारा 4 या धारा 5 के अधीन प्राधिकरण प्राप्त करने की रीति और प्रक्रिया को नियंत्रित करने और सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनायेगा।

विनियम

7— मूल अधिनियम की धारा 68—सी या 68—डी की किसी बात से यह नहीं समझा का

सेवाओं की संख्या

जायेगा कि किसी अनुमोदित योजना में व्यवस्था की जाने वाली सेवाओं की संख्या को 68—सी या

विनिर्देश धारा

विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की गई है या कभी की गई थी।

68—डी के लिए अपेक्षा नहीं होगी

आवश्यक

8— इस अधिनियम और इसके अधीन दिये गये आदेशों के उपबन्ध प्रभावी होंगे, भले इसके

इस अधिनियम और

ही मूल अधिनियम के अध्याय 4 और 4—ए में या किसी ऐसे अनुज्ञा—पत्र, योजना, अधिसूचना

अधीन आदेश मूल अधिनियम के

अध्याय 4 या अन्य लिखत में, जिसका उक्त अध्याय के उपबन्धों के आधार पर प्रभाव है, कोई असंगत अधिभावी बात दी हो।

और 4—ए पर होंगे

9— धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध होना

आदेशों का अंतिम

राज्य सरकार को प्रत्यावेदन कर सकता है और तत्पश्चात् राज्य सरकार उस पर ऐसा आदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे और उसका आदेश अंतिम होगा।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 4 या धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी या मूल अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या न्यायाधिकरण में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायगा।

{उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976}

{धारा

10—16}

10— इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से दिये गये किसी बाधा

निदेशों की अवज्ञा,

निदेश और इस अधिनियम के अधीन उस प्राधिकारी द्वारा किसी कृत्य के निर्वहन के सम्बन्ध में इन्कार

तथा सूचना से

मूल अधिनियम की धारा 113 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

करना

11— (1) मूल अधिनियम की धारा 43—ए में, उपधारा (6) में, शब्द और अंक “50 और धारा

मूल अधिनियम की

57” के स्थान पर शब्द और अंक “50, 57 और 68—एफ” रख दिये जायेंगे।

43—ए तथा

133—ए का

लागू होना

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के संबंध में मूल अधिनियम की धारा 133-ए आवश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होगी, जिस प्रकार वह मूल अधिनियम के उपबन्धों के संबंध में लागू होती है।

- 12— जहां राज्य सरकार, किसी समय लोक हित में अधिसूचना द्वारा निदेश देती है समाप्त प्राधिकरण का किया जाना
- कि धारा 4 या धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये सभी या कोई प्राधिकरण अधिसूचित दिनांक से प्रभावी नहीं रहेंगे, वहां उक्त प्राधिकरण प्रभावी नहीं रह जायेंगे और किसी प्राधिकरण के समाप्त होने से राज्य सरकार या निगम या सक्षम प्राधिकारी या उसके सदस्यों के विरुद्ध प्रतिकर के लिये कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।
- 13— शंकाओं का निराकरण करने के लिये एतद्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि धारा 4 या धारा 5 के अधीन कोई विनिश्चय करने या आदेश देने के पूर्व किसी प्रभावित पक्ष या अन्य व्यक्ति की सुनवाई करना सक्षम प्राधिकारी के लिये आवश्यक नहीं होगा। शंका का निराकरण
- 14— धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसार निगम को देय किसी राशि को निगम के महाप्रबंधक के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जा सकता है। देयों की वसूली
- 15— इस अधिनियम के अधीन किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिए और विशेषतः धारा 12 के अधीन दिये गये किसी निदेश के आधार पर राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी या उसके सदस्यों के विरुद्ध या निगम के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी। उन्मुक्ति
- 16— किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, कोई योजना, जो मूल अधिनियम की धारा 68-सी के अधीन निर्मित या प्रकाशित की गयी हो या धारा 68-डी के अधीन अनुमोदित या उपान्तरित हो, या निर्मित, प्रकाशित, अनुमोदित या उपान्तरित अभिप्रेत हो, इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी या कभी अविधिमान्य नहीं रही होगी कि उसमें व्यवस्थित सेवाओं की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं है। वैधीकरण

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 27 OF 1976]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 11, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 14, 1976.]

Received the assent of the President on July 1, 1976 under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated July 5, 1976.]

AN

ACT

to make certain provisions in respect of existing permits for motor vehicles under the Motor Vehicles Act, 1939 and in relation to schemes, routes and areas notified or purporting to be notified under Chapter IV-A of that Act, and to provide for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :--

- Short title, 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Special Provisions) Act, 1976.
- application (2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) This Act shall apply only in relation to schemes approved or purporting to be approved areas and routes notified or purporting to be notified under Chapter IV-A of the Motor Vehicles Act, 1939 as amended in its

application to Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the principal Act) and to permits issued under the principal Act before the commencement of this Act.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise required,----

(a) the expressions “approved scheme”, notified area” and “notified route” shall have the same meanings as in section 68-D of the principal Act,

(b) “competent authority” means the Authority constituted under section 3;

(c) "corporation" means the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation established under section 3 of the State, Road Transport Corporation Act, 1950;

(d) "mini-bus" means an omni-bus which is constructed or adapted to carry not more than 35 persons excluding the driver;

(e) "specified limits" means such limits, area or routes as may be specified by the State Government by notification;

(f) words and expressions used but not defined herein and defined in the principal Act shall have the same meanings as in the principal Act,

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles (Special Provisions) Act, 1976]

[Section 3-4]

Competent called Authority

3. (1) The State Government shall by notification constitute an Authority to be the "Competent Authority" which shall consist of :--

(i) the General Manager of the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation;

(ii) the Transport Commissioner, Uttar Pradesh;

(iii) the Secretary of the Finance Department of the State Government.

(2) The members specified in sub-section (1) may be represented by officers not below the respective ranks of Deputy General Manager, Deputy Transport Commissioner and Deputy Secretary at any meeting of the Competent Authority, and the officers so deputed shall have a right to vote and shall for purposes of that meeting be deemed to be members of the Competent Authority.

(3) One of the members shall be elected to act as Chairman of the Competent Authority.

(4) The replacement of any member mentioned in sub-section (1) or the change of any representative under sub-section (2) shall not affect any pending proceedings which may be continued from the stage where such replacement took place.

(5) The Competent Authority shall appoint a Secretary who may be an officer of the State Government or of the Corporation.

(6) All orders and decisions of the Competent Authority shall be authenticated by the signature of the Chairman and other instruments issued by the Authority shall be authenticated by the signature of the Secretary.

Authorization mini-of use of mini-bus within specified on certain

4. (1) Where any person, not being an institution or corporate body, owing a bus has been given a permit for such mini-bus to be used as a contract private carriage, the Competent Authority may on his application authorize its use as a stage carriage within specified limits covered by an approved scheme. subject to such terms and conditions, which may be in respect of matters limits specified in sub-section (3) or section 48 of the principal Act or in respect of conditions any other matter, as it thinks fit and for the period during which such authorization is in force, the permit shall be deemed modified to be extent of such authorization.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), it shall be the condition of such authorization that the owner of the mini-bus shall pay such amounts to the Corporation as may be fixed by the Competent Authority having regard to the nature and class of route, the distance covered, the seating capacity and other relevant factors, and abide by such administrative and operational control of the Corporation as the Competent Authority may from time to time by order direct.

(3) If at any time the Competent Authority has reason to believe that there has been a breach of the terms and condition, subject to which the authorization referred to in sub-section (1) was made, it may, for reasons to be recorded, revoke the said authorization, and thereupon the permit referred to in sub-section (1) shall be deemed to be restored to the position in which it was before the authorization was made.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles (Special Provisions) Act, 1976]

[Section 5-9]

Authorization Competent of use of vehicles over corridors and carriage

5. (1) Notwithstanding anything contained in an approved Scheme, the Authority may authorize---

(a) any holder of a permit for a stage carriage to ply his stage

inter-State on such portion of the notified route as may be specified and for such period route and subject to such terms and conditions, which may be in respect of matters specified in sub-section (3) of section 48 of the principal Act or in respect of any other matter as it thinks fit;

(b) any State Transport Undertaking or a Statutory Corporation of Uttar Pradesh or any other State or Union Territory to ply their public service vehicles on an inter-State route covering notified or non-notified routes within the territory of Uttar Pradesh, subject to such terms and conditions as it thinks fit; and

(c) for the period during which such authorization is in force, the scheme shall be deemed modified to the extent of such authorization.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), it shall be the condition of such authorization that the owner of the stage carriage or the public service vehicle, as the case may be, shall pay such amounts to the Corporation as may be fixed by the Competent Authority having regard to the nature and class of route, the distance covered, the seating capacity and other relevant factors, and abide by such administrative or operational control of the Corporation as the Competent Authority may from time to time by order direct.

Regulation

6. The Competent Authority shall, with the previous approval of the State Government make regulations governing the manner and procedure for seeking

authorization under section 4 or section 5, and in general for carrying out the purposes of this Act.

Specification of number of essential requirement of section 68C or section 68D 7. Nothing contained in section 68-C or section 68-D of the principal Act shall be deemed to require, or ever to have required a specification being made in services not an approved scheme of the number of services to be provided.

This Act and there- to over ride Chapter IV and V-A of the other instrument having effect by virtue of the provisions of the said Chapters. Principal Act 8. The provisions of this Act and of orders made thereunder shall have effect orders notwithstanding anything inconsistent therewith contained in Chapter IV and under Chapter IV-A of the principal Act or in any permit, Scheme, notification or

Finality of orders 9. (1) Any person aggrieved by an order under sub-section (3) of section 4 may make representation against it to the State Government, and the State Government may thereupon pass such order as it deems fit and its order shall be final.

(2) Save as provided by sub-section (1), no order made by the Competent Authority under section 4 or section 5 shall be called into question in any court or be subject to any appeal or a revision to any Authority or Tribunal under the principal Act.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles (Special Provisions) Act, 1976]
[Section 10-16]

Disobedience directions, obstructions refusal of information 10. The provisions of section 113 of the principal Act shall *mutatis mutandis* of apply in relation to any direction law fully given by the Competent Authority under this Act and to the discharge of any function by that Authority under and this Act.

Application of figures sections 43-A and 133-A of the principal relation to 11. (1) In section 43-A of the principal Act in sub-section (6) for the word and “50 and 57” the word and figures “50, 57 and 68-F” shall be substituted.
(2) Section 133-A of the principal Act shall *mutatis mutandis* apply in Act the provisions of this Act, as it applies in relation to the provisions of the principal Act.

Determination authorization 12. Where the State Government at any time in the public interest by notification of directs that from a notified date all or any authorizations made by the Competent Authority under section 4 or section 5 shall cease to have effect, the said authorization shall so cease to have effect and no such cessation of any authorization shall entail any liability for compensation against the State Government or the corporation or the Competent Authority or its members.

Removal of doubts 13. For the removal of doubts it is hereby declared that it shall not be necessary for the Competent Authority to hear any party or other person affected before taking any decision or making any order under section 4 or section 5.

Recovery of 14. Any sum due to the Corporation in accordance with any order passed under dues section 3 or section 4 may on a certificate of the General Manager of the Corporation be recovered as arrears of land revenue.

- Immunity 15. No suit or other proceeding shall lie against the State Government or the Competent Authority or its members or against the Corporation in respect of anything done or intended to be done under this Act, and in particular, on the basis of any direction under section 12.
- Validation 16. Notwithstanding any judgment decree or order of any court, any scheme prepared or published under section 68-C, or approved or modified under section 68-D of the principal Act or purporting to have been prepared, published, approved or modified shall not be deemed to be or have ever been invalid on the ground of the number of the services to be provided being not specified therein.

